



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410091

विक्रय विलेख

मल्लिकार्जुन सी वनगांवि - रु० 7,20,993/-
 नालाट मूल्य - रु० 2,43,250/-
 जदा किने गये जनसल लेण रु० 72,100/-

- | | | | |
|----|------------------|---|---------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 2. | पणना | - | लखनऊ |
| 3. | गाम | - | अहमदनगर |
| 4. | संपत्ति का विवरण | - | भूमि अलग मल्लिक 1075 रुका |



मल्लिकार्जुन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410082

-2-

0.278 हे० का 1/2 भाग अर्थात्
रकम 0.139 हे० स्थित पाग-
आमनक, परगना लहसील व जिला
सहजनक।

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.139 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुजानपुर रोड व अमरगंज रोड पर से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | रुपि |

01/10/03

Signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

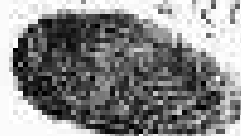
A 894940

- 3 -

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं
10. खेति/ कुआँ अन्य - कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं० 1079

जलर : नवरोड
अधिन : राजस्थान पुलिस/१११/३६६००००००
पुरव : खसरा संख्या- ११०
पविचम : खसरा संख्या- १०७६



मि. ३२/११/१८

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4 894938

पक्ष की संख्या- 1

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

शिकेला का विवरण	केला का विवरण
बेस्टन पुत्र रामा निवासी अजयपुर, पटना जिला व जिला सहायक।	मिथीलाल पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर मिर्जापुर जिला व जिला सहायक।
न्याय- कृषि	न्याय- कृषि



मिथीलाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 894939

यह दिव्य विलेख खेटन पुत्र रामा निवासी -अहमनऊ, पगना
तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें अपने विवेता कल गया है एवम् मिथीलाल
पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर मिरासी पो0 नैनीय, तहसील व जिला
फतेहपुर जिन्हें अपने केंता कल गया है वे गन्ध निष्पादित किया गया।

यह कि विवेता भूमि क्षमता रकबा 1079 रकबा 0.278 हे० का
1/2 भाग अर्थात रकबा 0.139 हे० स्थित गाँव- अहमनऊ, पगना

दि १२/१२/८८

मि १२/१२/८८

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 894937

- 6 -

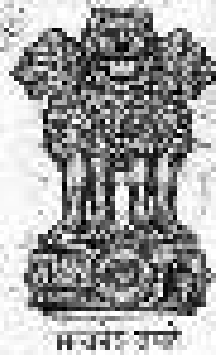
राजनीत व जिला सख्तनऊ का मालिक, कागित व काबिज है तथा उपरोक्त
प्रत्यक्षित प्रत्यक्षित अतीनी का संख्या 00037 के अनुसार भूमि विवेका
के नाम का अमल दयानंद राजभूष अथिलेखी में हो गया है। विवेका को
मैत्री की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण जिला केला को
इस विवेका विवेका द्वारा लिख्य कर रहा है विवेका उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि
के मालिक, कागित व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि
भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि या हिस्सा नहीं है। यह कि विवेका
को घोषित करता है कि उपरोक्त विवेका भूमि सभी प्रकार के भारों से



मि. अ. लाल

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-7-

मुका एवं पाक व ताफ है तथा गिरेला में उसे इस विषय को पूर्व कही
बय. दिया, निम्नी या अनुमिष्ट इत्यादि नहीं किया है। गिरेला में उत्त
भूमि पर भूमि कृष या अन्य प्रकार का कोई कृष नहीं किया है। यदि
कोई ऐसा कृष भविष्य में निवृत्तता है तो उससे अभिप्रेत गिरेला व उसके
वर्तमान व विविध उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उत्तरा कोद भाग
किसी व्यावसाय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय
नहीं है, न ही कुछ इत्यादि है। गिरेला से उत्तरा तथा कृष भूमि में किसी
अन्य व्यक्ति या स्वतः, एक या बंधा इत्यादि नहीं है, एवं गिरेला को उत्त

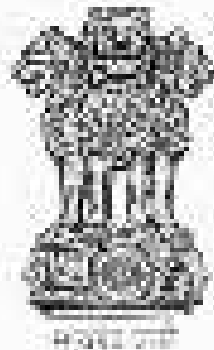
0 1 10 10 10

मि. अ. लाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

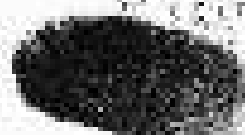
Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु 7,20,993/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त देता द्वारा विवेकता की इस विवेक के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार गुणगान कर दिया गया है एवं जिसकी प्रतिलिपी को विवेकता नहीं स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विवेकता उक्त देता को तथ्य उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विवेक के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कोई वेद दिया है, एवं विवेकता ने विश्वज्योतिष भूमि को गौरी पर कब्जा देता को बख्शी कर दिया गया है।

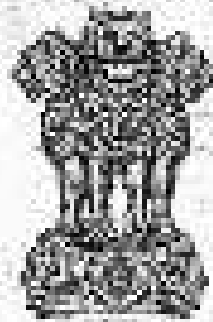


मि. प्रदीप

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



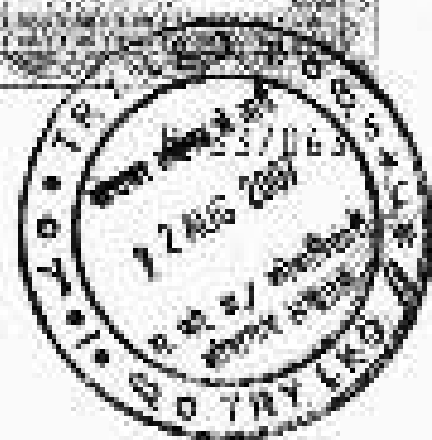
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

अब जल आधी पर विद्येता तथा उसके वारिष्ठान का कोई अधिकार नहीं है। विद्येता ने विक्रयशुद्ध सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व छोड़ा के लिए केला की उत्तानांतरित कर दिया है। अब कुल विक्रयशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकनाम-स्वामित्व व इन्विस्वर व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उत्थोग करने। विद्येता व उसके वारिष्ठान ठगने जितनी प्रकार की अद्वयन बाधा नहीं टाल सकेंगे एवं न ही कोई भाग पर सकेंगे और यदि विक्रयशुद्ध सम्पत्ति कथवा कोई भाग विद्येता के स्वामित्व में भूति के

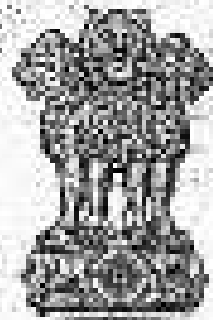


मि. अ. ल. व. ल.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

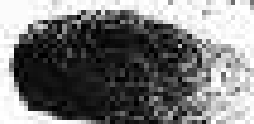
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 337062

- 10 -

कारण या कानूनी अदम्य या कानूनी बुद्धि के कारण केता या उसके वारिसान निष्ठादरमम इत्यादि के करने या अधिकार या स्वाय से निष्ठल जाने तो केता उसके वारिसान, निष्ठादरमम इत्यादि को यह एक जेना कि वह अपना सम्पत्त मुक्तान गप हर्ता व खर्च, विज्ञेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अवलत वसूल कर ले। उक्त स्थिति में विज्ञेता एवं उसके वारिसान हर्ता व खर्च देने हेतु बाध्य होगा।

P. S. नोट



Handwritten signature or text.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

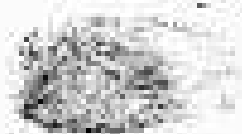
R 580066



यह कि शिखर यह भी घोषित करता है कि ऊक्त भूमि लखनऊ-
विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उड्डाण आवासीय एवं विकास परिषद,
लखनऊ तथा अन्य किसी भी संश्लेषण अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा
अधिकृत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि शिखर विद्युत्सुख सम्पत्ति को दखिल करिये राज्य
अधिकारियों ने अपने नाम एवं करा ले तो शिखर को कोई अधिकार न होनी
और यह कि हम विद्युत् सिलेस को पूर्ण रूप में अगर कोई व्यक्ति किसी तरह

दिनांक २२/१२/७५



महेश्वर

यह भार इस सम्बन्धित पर होगा तो उसको विद्येता भुगतान व वहन करेंगे, विद्येता को कोई आवक न होगी।

यह कि उपरोक्त प्लॉट नम्बर ग्राम अहममऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम को सम्बन्धित आता है इसलिए निर्धारित सार्वजनिक रेट रु० 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निम्नीय भूमि 0.139 हेक्टेयर की कुल मातृका 2,43,250/- होती है तथा निम्न मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए, नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 72,100/- गनरल स्टॉक में विक्रय किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विद्येता भूमि भूमि के उपयोग के लिए खाली पड़ी है। भूमि में कोई पेड़-पौधा आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अवसंरचना गतिविधियाँ नहीं चल रही है व कोई गलतबूझ, कुआँ भी नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विद्येता भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। निम्नीय भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर अरीड पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विद्येता एवं वेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विषय विशेष के निष्पत्ति का सम्बन्ध बांध वेता द्वारा वहन किया गया है।

निम्नीय यह विक्रय का विद्येता ने वेता के पास में लिख दिया ताकि सदा रहे और आवश्यकता पड़ने पर वापस आये।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विद्येता को रु० 7,20,993/- द्वारा चेक संख्या 594 056





216



100

दिनांक 24.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दौरागंज लखनऊ से
बैंक को प्राप्त हुए।

इस प्रकार विदेशी को कुल विक्रय मूल्य 7,20,993/- (सत्तर लाख बीस हजार नौ सौ द्वादश रुपये मात्र) बैंक से प्राप्त हुए जिसकी प्रतिलिपि प्रतिलिपि विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब विदेशी को बैंक से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

3/8/07

लखनऊ:

दिनांक : 24.08.2007

उद्देश्य :- बैंक की पहचान की

1. Sanjay Kumar Singh
S/O Smt. H.C. Singh
पंजाब नेशनल बैंक
लखनऊ

विक्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

बैंक

राजेश कुमार लाल
पंजाब नेशनल बैंक
लखनऊ

दर्शकता

M. J. Singh
(मोनु कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

महविवाहता

Singh
(राजेश सिंह)
एडवोकेट

பேர்த

Registration No

1540

Year

2009

Book No

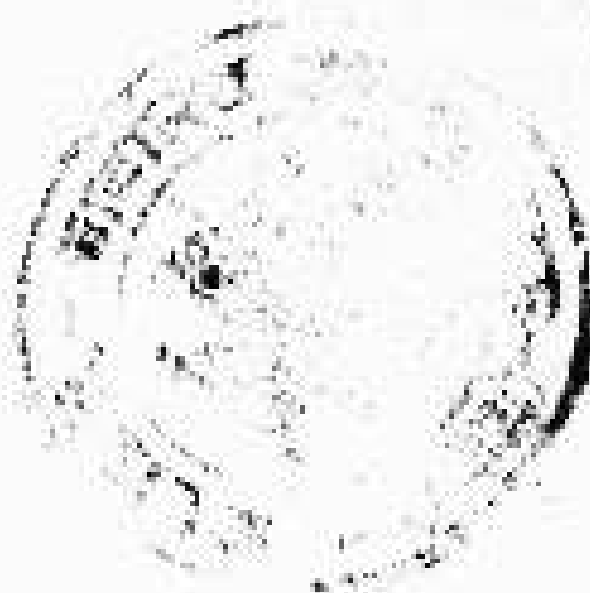
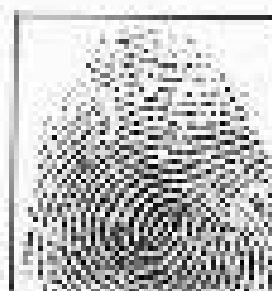
1

001: 0000

018

சென்னை மருத்துவ கல்வி நிறுவனம்

சென்னை



10

6/9/41 23

11/2/41

4

10/2/41

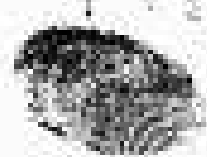
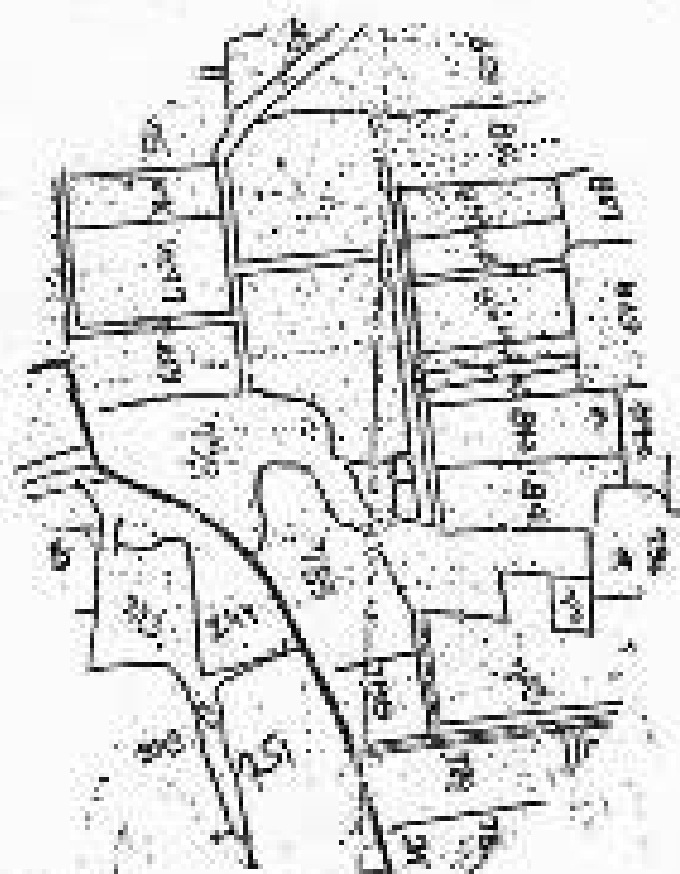
1079

10/2/41

10/2/41

1079

10/2/41



10/2/41

10/2/41

10/2/41

1997



Registration No. 2-42

Year: 2007

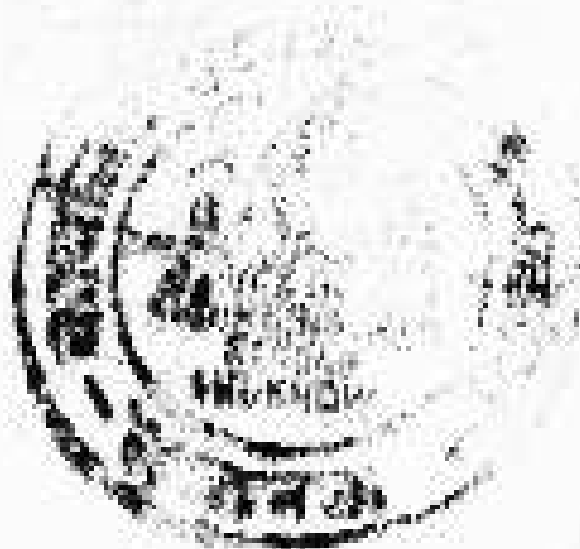
100

1

100% 100%

100

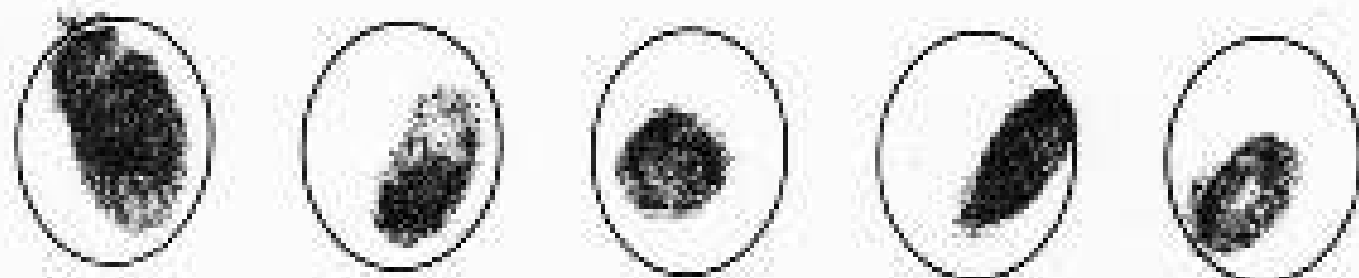
new bridge north of the river near the city.



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

सहचर/सिक्ता का नाम व पता 10/10/12

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



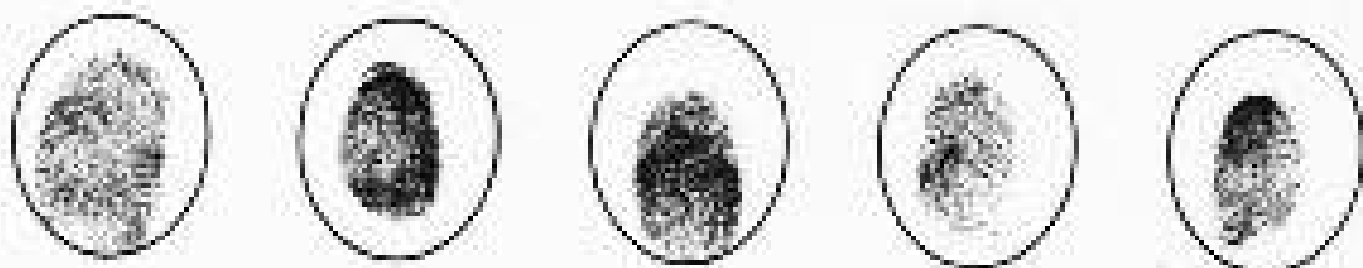
सहचर/सिक्ता/सिक्ता के हस्ताक्षर

सिक्ता/सिक्ता का नाम व पता : 10/10/12

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



सिक्ता/सिक्ता के हस्ताक्षर
10/10/12

आम दिनांक 25/08/2007 को
पृष्ठ सं 1 तिथि सं 6868
पृष्ठ सं 203 से 131 पर समाप्त 8040
प्रतिबद्धित किया गया ।

आर. के. श्रीवास्तव
उप निदेशक (द्वितीय)
लखनऊ
25/08/2007

